न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शिकोहाबाद फिरोजाबाद

प्रकीर्ण वाद संख्या 622 सन 2026

कलानिधि बनाम अज्ञात

दिनांक 26/03/2026

पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। पूर्व नियत तिथि को प्रार्थी के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 4 बी एन एस एस थाना एका जिला फिरोजाबाद पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए जरिए अधिवक्ता यह कथन किया गया है कि प्रार्थी का भाई कमल प्रताप उम्र करीब 25 वर्ष अपने मित्र प्रभात गर्ग उर्फ मोना के साथ अपनी मोटर साइकिल सं० UP83AX3484 से दिनांक 15.10.2025 को समय करीब 7:15 बजे एका से अपने घर मौहल्ला कछियाना, थाना फरिहा, जिला फिरोजाबाद जा रहा था। तभी अचानक एका मुस्तफाबाद रोड़ के बीच में फरीदा सोड पर पहुँचे, तभी तेजगति व लापरवाही पूर्वक मोटर साइकिल सख्या UP83BJ6291 के चालक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कमलप्रताप के गम्भीर चोट आयी, तथा साथ चल रहे, प्रभात गर्ग के भी हल्की फुल्की चोटे थी. गाड़ी का नम्बर प्रभात गर्ग ने नोट कर लिया था, वाहन स्वामी टक्कर मारकर अपने वाहन को तेजगति से भगा ले गया, घायल अवस्था में आस पास के लोग समुदायिक स्वस्थय केन्द्र एका ले गये। वहा से हालत गम्भीर होने के कारण सरकारी अस्पताल फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गोयल गौरव हास्पीटल में इलाज चला, और उसके बाद रामादेवी हस्पीटल में दौराने इलाज दिनांक 24.10.2025 24.1 को कमलप्रताप की मृत्यु हो गयी, तथा थाना ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा की पुलिस ने पंचनामा भरकर भरकर पोस्टमार्टम कराया है। प्रार्थी अपने भाई का क्रियाकर्म करने के उपरांत अपने छोटे भाई को गंम्भीर बीमारी के उपचार में व्यस्थ होने के कारण थाने पर समय से रिपोर्ट नहीं करा सका है, तथा अब रिपोर्ट कराने आया है।प्रार्थी का मुकद्दमा थाना दर्ज ना होने के कारण व पुलिरा व उच्चाधिकारीओं द्वारा कोई कार्यवाही ना किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। विपक्षीगणों ने संज्ञेय एवं गम्भीर प्रवृत्ति का अपराध कारित किया है। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना कराये जाना न्यायहित में आवश्यक होगा। उक्त वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है. जिससे सुनने व निर्णीत करने का पूर्ण अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के आदेश पारित करने की कृपा करें। श्रीमान जी की महान कृपा होगी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में संबंधित थाने से आख्या दिनांकित 20.03.2026 प्रस्तुत कर कथन किया है कि "आवेदक कलानिधि केदारिंह पुत्र थानसिंह निवासी ग्राम कछियाना थाना एका द्वारा अपने भाई कमल प्रताप उम्र 25 साल के सम्बन्ध में मोटरसाइकिल संख्या UP 83 AX 3484 से दिनांक 15–10–2025 समय 07.00 बजे फरीदा मोड़ थाना एका क्षेत्र में एक्सीडेंट होने के सम्बन्ध में थाना एका पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है और न ही इस सम्बन्ध में थाना एका जिला फिरोजाबाद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही विवेचना प्रचलिया है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का पुनः सम्यक परिशीलन किया। परिशीलन उपरांत यह दर्शित है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दिनांक 15–10–2025 की घटना का वर्णन किया है जिसमें प्रार्थी के भाई का एक्सीडेंट होने तथा दिनांक 24–10–2025 को उसके भाई की मृत्यु होने का कथन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा चिकित्सीय प्रमाणपत्रों की अप्रमाणित छायाप्रति दाखिल की है। संबंधित थाने की ओर से दाखिल की गई आख्या से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 15–

Digitally signed by AROMA RAMAN PICESS
Date: 2026.03.26 16:04:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

10–2025 को प्रार्थी के भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अतः प्रस्तुत मामले में संपूर्ण स्थिति स्पष्ट एवं साक्षी एकत्रित किए जाने हेतु पुलिस द्वारा विवेचना एवं साक्ष्य संकलन कराया जाना विधिक रूप से अनिवार्य प्रतीत होता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कमलेश आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 528 BNSS संख्या 25348 सन 2025 आदेश दिनांकित 25.7.2025 में पारित आदेश का उद्धरण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है–

"18. In the latter part of Section 173(4) of B.N.S.S., it is provided that "failing which such aggrieved person may make an application to the Magistrate". Aforesaid phrase used in Section 173(4) of B.N.S.S., in my opinion, clearly denotes that in case all the remedies as mentioned under sub–section 1, sub–section 3 and initial part of sub–section 4 of Section 173 B.N.S.S. are exhausted, applicant/aggrieved person has a right to move an appropriate application before the Magistrate, who, in turn, either proceed on the aforesaid application and issue a direction for police investigation after registering the F.I.R., or treat it as a complaint and proceed accordingly, or reject the same on merits. In the instant matter, learned Magistrate came to conclusion that the cognizable offence is made out against the opposite parties in the complaint, thus, it would be justified to issue a direction for registration of an F.I.R. and investigation of the matter."

अतः प्रस्तुत मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुक्रम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) BNSS स्वीकार किया जाता है। संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत मामले में अंदर दो दिवस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करना सुनिश्चित करेंगे। पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

प्रथम अपर सिविल जज (जू० डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिकोहाबाद फिरोजाबाद